ग्राम पंचायत सुनारा, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2021 से 03/2023

भाग-एक

1 **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनाँक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सुनारा, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखों का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। **अंकेक्षण अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 तक के दौरान ग्राम पचांयत सुनारा में निम्नलिखित प्रधान, सचिव एवं अन्य कर्मचारी कार्यरत रहे हैं :-**

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती अंजू बाला	01-04-2021 से 31-03-2023

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्री महिंदर सिंह	01-04-2021 से 10-09-2021
2.	श्री रोशन लाल	10-09-2021 से 06-11-2021
3.	श्री अम्बिया राम	06-11-2021 से 31-03-2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत सुनारा, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है। जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाया जाता है।

क्र० स०	पैरा स०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
01.	7.1 से 7.3	पंचायत राजस्व, गृहकर एवं मोबाइल टावर फीस की बकाया राशि की वसूली न करने एवं विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी राजकोष में जमा न करना।	2.19
02.	8.2	बिना M (XY) फॉर्म के क्रय करने से सरकारी राजकोष को रॉयल्टी के तौर पर राजस्व की भारी वितीय हानि बारे।	2.64
03.	8.3	प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) की सम्भावित वित्तीय हानि।	₹0.99
04.	9.2	सभा निधि (स्व:-स्रोत) से बिना बजट प्रावधानों के अनियमित व्यय करने बारे	₹0.32
05.	9.3	आपूर्तिकर्ताओं को अनुमोदित दरों से अधिक व गलत गणना के कारण अधिक/ अनुचित राशि का भुगतान करने बारे।	₹0.11
06.	9.4 9.5	14वें वित्तायोग के अंतर्गत राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन एवं गलत/संदिग्ध भुगतान करने बारे।	₹0.44
07.	9.6 9.7	15वें वित्तायोग एवं वाटरशेड अनुदान से आपूर्तिकर्ताओं को संदिग्ध/अनियमित अदायगी करने बारे।	₹0.57
08.	9.8	एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWMP) के अंतर्गत लाभार्थी शेयर की कम कटौती करने बारे।	₹0.39

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत सुनारा, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 19-03-2024 से 28-03-2024 तक ग्राम पंचायत सुनारा के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि

लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2021-2022	02/2022	07/2021
2.	2022-2023	10/2022	05/2022

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत सुनारा, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹6400/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को भेजने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/12 दिनाँक 28-03-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत सुनारा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

(अ) स्व:-स्रोत व अनुदान

ग्राम पंचायत सुनारा के अवधि 04/2021 से 03/2023 तक स्व:-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है:

1. स्व:-स्रोत (3rd /5th State FC)

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति(₹)	योग(₹)	व्यय(₹)	अंतिम शेष(₹)
2021-22	305280.96	406808.00	712088.96	419806.00	292282.96
2022-23	292282.96	307362.00	599644.96	371028.00	228616.96

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2021-22	906835.47	8871523.00	9778358.47	7783852.00	1994506.47
2022-23	1994506.47	9651405.46	11645911.93	8505384.92	3140527.01

नोट: उपरोक्त स्व:-स्रोत के अंतर्गत अन्य अनुदान जैसे 3rd/5th स्टेट का पंचायत द्वारा एक बैंक खाता व एक ही रोकड़ बही में संधारण किया जा रहा है। (कृपया पूर्ण विवरण पैरा संख्या 10.3 पर देखें) जिससे कि उक्त स्व:-स्रोत की वास्तविक राशि को पृथक तौर पर नहीं दर्शाया जा सकता है।

कुल योग (1 + 2) ₹228616.96 + ₹3140527.01 = ₹3369143.97

(ब) ग्राम पचांयत सुनारा, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनाँक 31/03/2023 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

क्र० सं०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि (₹) 31-03-2023
1.	15वां वित्तायोग	20110103921	HPSCB Dharwala	2307160.00
2.	14वां वित्तायोग	99151300000958	HPGB Dharwala	0.00
3.	SBM	99158100022082	HPGB Dharwala	0.00
4.	GENERAL/ VKVNY/ICDS	99151301503220	HPGB Dharwala	313405.34
5.		11753195423	SBI MEHLA	12918.41
6.	WDF	99150100011133	HPGB Dharwala	92319.00
7.	IWMP	99150100004287	HPGB Dharwala	0.00
8.	SABHA Nidhi/ 3rdState	17910107063	HPSCB CHAMBA	335158.96
			Cash in hand	269.00
			TOTAL	**3061230.71**

अन्तर (अ-ब) ₹3369143.97 - ₹3061230.71 = ₹307913.26

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹3.08 लाख का अन्तर।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत सुनारा द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **7(3) व 10(1)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनाँक 31-03-2023 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹307913.26 का अन्तर बैंकपास बुक में कम शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनाँक 26-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।

अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹31.41 लाख का अवरोधन।

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनाँक 31-03-2023 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹3140527.01 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बन्धित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करता है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनाँक 26-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा।

अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के आदेशों की प्रति/पत्र अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध न करवाने बारे।

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गए अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की प्रतियाँ अंकेक्षण में सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि, पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान किस उद्देश्य/कार्य विशेष हेतु प्राप्त किये गए हैं।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनाँक 26-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत को अनुदान आदेशों की प्रति/पत्र प्राप्त नहीं हुए तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप से अनुदान के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त प्रकरण को विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹1.36 लाख की वसूली न करने बारे।

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बधित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत सुनारा के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत बकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चूककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित ₹135560/- की राशि वसूली हेतु शेष थी।

वित्तीय वर्ष	अथशेष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर प्रति /परिवार	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष राशि
2021-22	117730	824	20	16480	134210	6800	127410
2022-23	127410	875	20	17500	144910	9350	135560

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनाँक 27-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्त राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनाँक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनाँक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण का सामान्य श्रेणी हेतु पंजीकरण की धारा 8(1) के प्रावधानों के तहत ₹200 (30 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹25 (30 दिन के अंदर) की वसूली की जानी अपेक्षित थी एवं वसूली गई फीस को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि उक्त पंचायत सचिव द्वारा निम्नविवरणनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹8425/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के सभा निधि के बैंक खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

वित्तीय वर्ष	कुल पंजीकृत विवाह	APL/Rate		राशि	BPL/Rate		राशि	कुल राशि सामान्य व BPL
		Without late fee	With Late Fee		Without late fee	With Late Fee		
2021-22	17	14@200	-	2800	3@25	-	75	2875
2022-23	33	27@200	-	5400	6@25	-	150	5550
कुल योग	**50**	**41@200**	**-**	**8200**	**09@25**	**-**	**225**	**8425**

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-11 दिनाँक 27-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली उपरान्त उसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा।

अत: उपरोक्त राशि की उचित स्रोत से वसूली करने उपरान्त सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

7.3 मोबाइल टावरों की पूर्व अवधि की नवीनीकरण शुल्क बकाया राशि ₹0.75 लाख की वसूली न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी०सी०एच०-एच०(2)8/99 दिनाँक 20-03-2017 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए राशि ₹10000/- आवेदन शुल्क (स्थापना शुल्क) व राशि ₹5000/- वार्षिक नवीनीकरण शुल्क निर्धारित की गयी है। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनाँक 31-03-2023 तक निम्न विवरणानुसार सभी मोबाइल टावरों की वार्षिक नवीनीकरण शुल्क के रूप में राशि ₹75000/- वसूली हेतु शेष थी।

क्र० स	वितीय वर्ष	अथशेष (₹)	टावरों की संख्या	नवीनीकरण शुल्क/प्रति टावर/वर्ष (₹)	वर्ष के दौरान माँग (₹)	कुल योग (₹)	वर्ष के दौरान वसूली (₹)	वसूली हेतु शेष बकाया (₹)
1.	2021-22	60000	03	5000	15000	75000	0	75000
2.	2022-23	75000	03	0	0	75000	0	75000

नोट : मोबाइल टावर फीस की उक्त बकाया राशि हि०प्र० सरकार की अधिसूचना 885 दिनाँक 13-05-2022 के पूर्व की है तथा वर्तमान में उक्त अधिसूचना के अनुसार पंचायत की अपनी निजी भूमि पर कोई मोबाइल टावर नहीं है इसलिये मांग शुन्य दर्शायी गई है।

इस सम्बध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनाँक 27-03-2024 के प्रत्युतर में सचिव, द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, वकाया राशि की वसूली शीघ्र कर ली जाएगी। उतर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है। जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः पूर्व अवधि की मोबाइल टावरों की बकाया राशि

को शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके सम्बंधित खाते में जमा करवा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्रवाई जैसे कि, पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत सुनारा के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा है जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनाँक 26-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का इन्द्राज राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका एप्लीकेशन में कर दिया जायेगा। कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना M-फॉर्म के अनुचित क्रय करने से सरकार को रॉयल्टी के तौर पर राशि ₹2.64 लाख के राजस्व की वित्तीय हानि।

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स (कन्सेशन) एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रान्सपोटेशन एन्ड स्टोरेज) नियमावली 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विकास/निर्माण कार्यों पर उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को खनन विभाग से अन्नापति प्रमाण पत्र/M-फॉर्म प्राप्त कर सम्बंधित पंचायत को देना अनिवार्य है। इसके अत्तिरिक्त उद्योग विभाग चंबा के पत्र संख्या 902 दिनाँक 18-02-2022 के अंतर्गत समस्त विकास खंड कार्यालयों को संशोधित मूल्य अनुसार रॉयल्टी के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गए थे।

परन्तु ग्राम पंचायत सुनारा, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा की अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णत: अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से अन्नापति प्रमाण पत्र/M-फॉर्म लिए बिना ही रेत,बजरी व पत्थर इत्यादि की आपूर्ति ली गई है। जिससे कि, न केवल अवैध खनन हुआ अपितु अनधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से

क्रय करने के कारण सरकार को राशि ₹263506/- (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है ।) की रॉयल्टी की वित्तीय हानि भी हुई है । इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग के पत्र संख्या Ind-II(F)6-14/2014-Vol-1 दिनांक 10-02-2022 के अंतर्गत नियम 81A की प्रविष्टि के तहत खनन पट्टा धारक न होने की स्थिति में रॉयल्टी की राशि का 25% जुर्माना की भी हानि हुई ।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/04 दिनाँक 23-03-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया । जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, नियमों की जानकारी न होने के अभाव में आपूर्तिकर्ताओं से रॉयल्टी की न तो कटौती की गई और न ही M फॉर्म लिए गए लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर विभाग को यथा शीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा । उत्तर संतोषजनक नहीं है ।

अत: उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव हो रहा है अपितु इस प्रकार से अवैध खनन से सरकारी आदेशों की भी स्पष्ट अवहेलना की जा रही है । यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है । अत: इस अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.99 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे ।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत सुनारा के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि की खरीद गई थी एवं पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹2071229/- भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है ।) किया गया था परन्तु उक्त आपूर्तिकर्ताओं के GST संख्या के अवलोकन में पाया गया कि अधिकतर फर्में रेत, बजरी एवं पत्थर के व्यवसाय हेतु अधिकृत नहीं है । लेकिन उक्त फर्मों द्वारा न केवल उक्त सामान की आपूर्ति की गई अपितु इनसे वस्तु एवं सेवा कर की कटौती भी की गई है एवं यह बिल प्रापर/कम्प्यूटर जनरेटेड न होकर केवल परफोर्मा बिल है जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी । यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹98630 की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है ।

उक्त गंभीर प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनाँक 23-03-2024 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया जिसके प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त पत्र द्वारा सूचित कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पंचायत से सामग्रियों पर GST ले लिया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया गया है या नहीं इस मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से शीघ्र ही अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में टैक्स बिलों पर ही भुगतान किया जायेगा।

अतः उक्त प्रकरण को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के समयबद्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमाविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त उक्त राशि की उचित स्रोत से वसूली करके सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुरूपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णतः नकारा जा सके।

8.4 कनिष्ठ अभियंता एवं तकनीकी स्तर पर राशि ₹18.86 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन एवं मापन पुस्तिका इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत सुनारा की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ठ अभियंता एवं तकनीकी स्तर पर निम्नविवरणानुसार करवाए गए कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका, उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त स्तर पर किये गए कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

क्रम संख्या/अनुदान	कार्य विवरण	स्वीकृत राशि (₹)	टिप्पणी
1.15th FC	कार्य:पनिहार सहलूई	233000	MB,UC, Estimate Work Order and Technical sanction order
2.15th FC	कार्य: पनिहार निर्माण एवं टाइल कार्य बदरोथा	200000	
3. IWMPXIII-	कार्य: नाला बंद वार्ड संख्या-3	160000	do
4. IWMPXIII-	कार्य: सूखा नाला बंद लुहारका	92700	do
5.IWMP-XIII	कार्य : नाला ट्रीटमेंट छुमेठी	300000	do
6.14th FC	कार्य: लेंटल व प्लास्टर gps बग्गा	200000	do
7.ICDS	कार्य : आंगनबाड़ी भवन कुम्हात्रा	700000	do
	कुल योग	**₹1885700**	

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनाँक 26-03-2024 द्वारा पंचायत सचिव को उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। इसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि,उक्त कार्यो के समस्त अभिलेख कनिष्ट अभियंता के पास विकास खंड कार्यालय में पड़े है जिससे कि इन्हें अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है। अत: उक्त वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9.1 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹3.28 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें,कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत सुनारा द्वारा राशि ₹327689/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया।

(जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "3"** में दिया गया है।) जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया। जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के सरकारी नियमों की अवहेलना भी की गई, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनाँक 23-03-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही क्रय किया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है एवं बिना कुटेशन के क्रय करना संदिग्ध प्रतीत होता है यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है।

अत: इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई समस्त खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति उचित स्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.2 सभा निधि (स्व:-स्रोत) से राशि ₹0.32 लाख का अनियमित व्यय करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सम्परीक्षा,संकर्म,कराधान एवं भते) नियम 2002 के **नियम 8(1)** के अनुसार बजट उपबंधों के अधीन समनुदेशित कर्तव्यों और कृत्यों के अनुपालन के लिये खाता- क से ग्राम पंचायत द्वारा उपगत व्यय, ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करने उपरान्त ग्राम पंचायत निधि पर विधि मान्य प्रभार होगा।

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा सभा निधि से निम्नविवरणनुसार राशि ₹32182 का व्यय **कार्यालय व्यय शीर्षक** के अंतर्गत बेड बॉक्स, रजाई, गद्दे, कम्बल एवं एग्जीक्यूटिव बैग का क्रय हेतु किया गया क्रय सामान न तो कार्यालय व्यय शीर्षक के अंतर्गत उपयुक्त प्रतीत हो रहा है और न ही यह व्यय उक्त नियमानुसार सभा निधि पर वैध प्रभार प्रतीत होता है। यह व्यय पंचायत में बजट पारित किये बिना गया ही किया गया। जोकि आपत्तिजनक है।

क्र०/ अनुदान	आपूर्तिकर्ता का नाम	वाउचर संख्या/ दिनाक	सामग्री व मात्रा	राशि (₹)
1.सभा निधि	मै० फर्नीचर हाउस मैन 1-A चंबा,बाज़ार करियां	निल/ 2022-01-07	बेड बाक्स, रजाई, गद्दे, कम्बल पिलो इत्यादि	28599

2.सभा निधि	मै० राजेश कुमार डाकघर सुनारा	निल/ 2022-01-07	बेड बाक्स, कम्बल, रजाई, गद्दे, पिलो इत्यादि की ढुलाई	1400
3.सभा निधि	मै०नागपाल ब्रदर्स मेन चोक चंबा	निल/ 2022-01-07	एग्जिक्यूटिव बैग 01	2183
			कुल योग	**₹32182**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनाँक 23-03-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, सभा निधि से बेड बॉक्स व बैग इत्यादि का क्रय पूर्व तत्कालीन सचिव द्वारा किया गया यह व्यय पंचायत के बजट में पारित नहीं किया गया है तथा क्रय बैग का तो स्टॉक रजिस्टर में भी इन्द्राज नहीं है इस सम्बन्ध में आगामी स्पष्टीकरण प्राप्त करके अंकेक्षण विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा।

उक्त व्यय बिना पंचायत के बजट प्रावधानों, तथा कार्यालय व्यय शीर्षक से बेड बॉक्स इत्यादि का व्यय करना एवं क्रय बैग का पंचायत के स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न पाया जाना एक गम्भीर प्रक्रियात्मक चूक व वित्तीय अनियमितता है। इस बारे उक्त व्यय को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराते हुए तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा उक्त व्यय की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित कर्मचारी/प्रतिनिधि से शीघ्र करके खाते में जमा करवाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.3 अनुमोदित दरों से अधिक व गलत गणना के कारण राशि ₹0.11 लाख का अधिक भुगतान करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज ((वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **चैप्टर- 9 नियम 76** के अनुसार सम्बन्ध पंचायत का सचिव यदि कोई पंचायत निधि से किये गए अति संदाय/अधिक भुगतान, चाहे सदभाव से किया गया है, की तत्पर वसूली करने का जिम्मेदार होगा।

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा IWMP के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार गलत गणना के कारण अपेक्षित भुगतान से अधिक राशि ₹8200 का भुगतान फर्म को किया गया एवं 15 वें वित्तायोग के अंतर्गत फर्म द्वारा दी गई कुटेशन में GST की शर्त न होने के बावजूद इसे बिल में अलग से जोड़ा गया जिससे कि उक्त फर्म द्वारा कुटेशन में प्रदत्त अन्य फर्मों से अधिक रेट वसूला गया जिसके परिणाम स्वरुप GST के तौर पर (अनुमोदित दरों से अधिक) वसूली गई राशि की अधिक अदायगी के कारण राशि ₹3150 की वित्तीय हानि भी पंचायत को हुई।

आपूर्तिकर्ता का विवरण	वाउचर सं०/ दिनाँक	सामग्री व मात्रा	अपेक्षित भुगतान (₹)	वास्तविक भुगतान (₹)	अधिक भुगतान (₹)
मै० विपिन कुमार डाकघर सुनारा चम्बा	/61 2021-10-18	पत्थरm341 1000@	41000	49200	8200
मै० राजपूत ट्रेडर्स गाँव कुर्नाहचम्बा ,	/01 2022-04-16	टाइल्स बॉक्स	17500	20650	3150
		कुल योग	**₹58500**	**₹69850**	**₹11350**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनाँक 23-03-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, उक्त अधिक भुगतान तत्कालीन सचिव द्वारा किया गया है इस सम्बन्ध में उनसे उक्त राशि की प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

अत: किये गए अधिक भुगतानों को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उक्त नियमानुसार सम्बन्धित सचिव से अधिक भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति करके सम्बन्धित खाते में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये एवं इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की भी विभागीय स्तर पर जांच की जाये ताकि किसी भी प्रकार से अधिक/अनुचित भुगतान की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके। अनुपालना लेखा परीक्षा में वांछित है।

9.4. 14 वें वित्तायोग से राशि ₹0.18 लाख का सम्भावित दुर्विनियोजन करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के भाग-1 के नियम **10(2)** के अनुसार अधिनियम की धारा 99 के उप-धारा (4) के उपबन्धों के अध्यधीन ग्राम पंचायत का सचिव या सहायक पंचायत का कैशियर होगा जो ग्राम पंचायत के खातों से धन/संदायों का प्रत्याहरण या निक्षेप करने को सक्षम होगा ; परन्तु सामग्री के क्रय के लिये आपूर्तिकर्ता/प्रदायक को किये जाने वाले **संदाय/भुगतान केवल क्रास चेक द्वारा ही किये जायेंगे।**

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा 14वें वित्तायोग से चेक संख्या 154147 दिनाँक 18-06-2021 को पंचायत के नाम से **सेल्फ चेक** द्वारा राशि ₹18000 का आहरण किया गया। इस व्यय को उक्त अनुदान की रोकड़बही के पृष्ट संख्या 68 में वाउचर संख्या 4 दिनाँक 18-06-2021 को श्री संजय कुमार को एक सादे कागज पर 7500 की रसीद/बिल

दर्शाया गया है परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह भुगतान किस बिल/कार्य की एवज में किया इसके अतिरिक्त वाउचर संख्या 5 के अंतर्गत मै० सनाहन माता हार्डवेयर स्टोर को उनके बिल संख्या 437 दिनाँक 10-06-2021 को 200kg TMT सरिया 52.50 की दर से राशि ₹10500 का क्रय किया दर्शाया गया है लेकिन उक्त क्रय सामान की न तो स्टॉक इन्द्राज पाया गया और न ही इसकी खपत दर्शाई गई और न ही सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता की अभिस्वीकृति ली गई है। यह संदिग्ध प्रतीत होता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनाँक 23-03-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, तत्कालीन सचिव द्वारा सेल्फ चेक से राशि आहरित की गई है इस राशि के सम्बन्ध में सचिव से उत्तर लेकर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण में सचिव द्वारा सेल्फ चेक से राशि के आहरण को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा नियमाविरुद्ध किये गए आहरण की दण्ड ब्याज सहित वसूली करके सम्बन्धित खाते में शीघ्र जमा करवाया जाये। यह गम्भीर प्रकरण है जोकि कि उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर से लाया जाता है पंचायत में इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की विभागीय स्तर पर गहन जाँच की जाये ताकि किसी भी प्रकार से धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना को पूर्णता नकारा जा सके अनुपालना लेखा परीक्षा में वांछित है।

9.5 14वें वित्तायोग के अंतर्गत राशि ₹0.25 लाख का संदिग्ध आहरण/भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **चैप्टर-6 नियम 47 (1)(2)** के अनुसार पंचायत निधि के प्रत्येक संदाय/भुगतानों को लेखों के उचित वर्गीकरण और पूरी व सही विशिष्टियां बताने वाले वाउचर द्वारा समर्थित किया जायेगा एवं भुगतान के सभी दावे यथासम्भव बिलों पर पेश किये जायेंगे।

पंचायत के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा 14वें वित्तायोग के अंतर्गत राशि 25872 का भुगतान मै० सनाहन माता हार्डवेयर स्टोर को उनके बिल संख्या 595 के अंतर्गत 600 फुट रेत के क्रय हेतु दर्शाया गया है परन्तु उक्त अनुदान की बैंक पासबुक में चेक संख्या 154144 दिनाँक 16-04-2021 को को उक्त राशि का हस्तांतरण किसी अन्य फर्म श्री धनी राम को किया गया है जोकि संदिग्ध प्रतीत होता है

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनाँक 23-03-2024 द्वारा पंचायत सचिव को उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। इसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, तत्कालीन सचिव से उत्तर लेकर विभाग को अवगत

करवा दिया जायेगा। अतः उक्त प्रकरण को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति शीघ्र करके उक्त खाते में जमा करवाई जाये। यह एक गम्भीर प्रकरण है जोकि उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर से इस आशय से लाया जाता है कि पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी इस प्रकार के अन्य मामलों में धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना को नकारा जा सके। अनुपालना लेखा परीक्षा में वांछित है।

9.6 15वें वित्तायोग के अंतर्गत राशि ₹0.17 लाख का संदिग्ध भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **चैप्टर-6** नियम 44 में निहित वित्तीय प्रावधानों **व 49** के अनुसार किसी भी वाउचर के लिए कोई भी भुगतान ग्राम पंचायत के सचिव व प्रधान द्वारा अदायगी आदेश एवं संयुक्त हस्ताक्षर करने उपरान्त ही किया जायेगा।

पंचायत के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राशि ₹17000 का भुगतान मैं विपिन कुमार को 17 क्यूबिक मीटर 1000 की दर से पत्थर तोड़ान हेतु किया गया था परन्तु यह बिल बिना पंचायत प्रस्ताव, अदायगी आदेश तथा प्रधान/सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही किया गया एवं इसमें क्रय पत्थर का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज भी नहीं किया गया। जोकि उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनाँक 23-03-2024 द्वारा पंचायत सचिव को उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। इसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, तत्कालीन सचिव से उत्तर लेकर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः उक्त प्रकरण को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति शीघ्र करके उक्त खाते में जमा करवाई जाये तथा इस प्रकार के अन्य मामलों की जाँच विभागीय स्तर पर की जानी सुनिश्चित की जाये तदानुसार कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.7 वाटरशेड अनुदान से राशि ₹0.40 लाख की संदिग्ध/अनियमित अदायगी करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **चैप्टर-6 नियम 47 (1)(2)** के अनुसार पंचायत निधि के प्रत्येक संदाय/भुगतानों को लेखों के उचित वर्गीकरण और पूरी व सही विशिष्टियां बताने वाले वाउचर द्वारा समर्थित किया जायेगा एवं भुगतान के सभी दावे यथासम्भव बिलों पर पेश किये जायेंगे।

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत के वाटरशेड अनुदान की रोकड़बही पृष्ट संख्या 38 दिनाँक 22-07-2021 के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार राशि ₹40000 का भुगतान आपूर्तिकर्ताओं को किया गया है परन्तु इस में निम्नलिखित विविध अनियमिततायें पाई गई।

1. उक्त अनुदान के तहत सभी भुगतान PFMS के तहत किये गए हैं जबकि उक्त भुगतान सीधे चेक द्वारा किये गए एवं उक्त भुगतान पंचायत ग्राम सभा में भी पारित नहीं है जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है।

2. उक्त भुगतान के तहत 40 क्यूबिक मीटर पत्थर क्रय किये गए परन्तु इनका स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज, खपत विवरण एवं यह किस निर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त किये गए इसका कोई भी विवरण पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

3. उक्त बिलों में से किसी पर भी दिनाँक अंकित नहीं है एवं इन बिलों का रोकड़बही में प्रविष्टियों को भी प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। उक्त अनुदान की रोकड़बही के अवलोकन में पाया गया कि, पचायत सचिव द्वारा जगह-जगह रोकड़बही के पन्ने पूर्णत: खाली छोड़े गए थे (उदाहरण पृष्ट संख्या 64) जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इनके किसी प्रकार की अनाधिकृत प्रविष्टि/समायोजन हेतु प्रयुक्त होने की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

क्रम.संख्या अनुदान	**आपूर्तिकर्ता का नाम**	**वाउचर संख्या/ दिनाँक**	**सामग्री व मात्रा**	**राशि (₹)**
1 IWMP.	मै० विपिन कुमार डाकघर सुनारा चम्बा ,	02 /03 & 2021-07-22	पत्थर m3@100020	20000
2 IWMP.	मै० धनी राम डाकघर सुनारा चम्बा ,	01 /04 & 2021-07-22	पत्थर m3@100020	20000
		कुल योग	**40 M3**	**₹40000**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनाँक 23-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि उक्त व्यय के सम्बन्ध में विभागीय अंकेक्षण द्वारा भी आपत्ति दर्ज की गई थी इस व्यय को न तो पंचायत ग्राम सभा में पारित किया गया और न ही इसके अंतर्गत क्रय सामग्री पंचायत के पास पहुंची और न ही यह स्टॉक में दर्ज है।

पंचायत द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं उक्त तथ्यों के दृष्टिगत ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त राशि का दुर्विनियोजन किया गया है। अत: उक्त व्यय को तथ्यों व आवश्यक अभिलेखों सहित न्यायोचित ठहराया जाये एवं इसका उत्तर शीघ्र ही अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ प्रेषित किया जाये अन्यथा उक्त

राशि की प्रतिपूर्ति करके खाते में जमा करवाई जाये तथा विभागीय स्तर पर इसी प्रकार के अन्य मामलों की गहत जांच उपरांत अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके। अनुपालना लेखा परीक्षा में वांछित है।

9.8 एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWMP) के अंतर्गत लाभार्थी शेयर राशि ₹0.39 लाख की कम कटौती करने बारे।

वाटरशेड विकास फंड (WDF) की मॉडल गाइडलाइन के पैरा 2.1 एवं WDC-PMKSY 2.0 के दिशा-निर्देशों के पैरा संख्या 26.1 के NRM व्यक्तिगत कार्यों के निष्पादन की स्थिति में सामान्य श्रेणी एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों से आवशयक तौर पर क्रमशः 10% एवं 5% की दर से शेयर की कटौती करने उपरान्त WDF खाते में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। परन्तु ग्राम पंचायत सुनारा द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा Natural Resource Management श्रेणी के अंतर्गत कुल राशि ₹1279600 के व्यक्तिगत कार्य करवाये गए परन्तु इन कार्यों के निष्पादन हेतु न तो उक्त कार्यक्रम की अन्य शर्तों की पूर्णता: अनुपालना की गई और इनमें से निम्न विवरणानुसार दो लाभार्थियों से अपेक्षित शेयर की कटौती ही नहीं की गई जबकि एक लाभार्थी से अधिक कटौती की गई एवं एक से कम की कटौती की गई। इस प्रकरण के सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश, स्वीकृति पत्र,आदेश, नियम इत्यादि की प्रतिलिपि पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में बिना कटौती एवं कम व अधिक कटौती को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। इस प्रकरण से पंचायत को निम्नविवरणानुसार राशि ₹38960 की वित्तीय हानि हुई।

Individual Work	Name of Beneficiary	Category	Project Cost (₹)	Share deducted beneficiary (₹)	Share to be deducted (₹)
Water Storage Tank Tatri	Sandeep s/o Karam Chand, Vill. Tari	General	88000	10000	8800
Water Storage Tank Agga	Dutt s/oLouhlu Vill Igga	General	100000	0	10000
Water Storage Tank Majhouri	Giyan Chand s/o Nurdh Vill.Praihla	General	100000	0	10000
Dry Check Dam Punna Nala in the Field of	Kishori Lal s/o Chand Ram Vill. Ladera	General	101600	10000	10160
		Total	**389600**	**20000**	**38960**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनाँक 23-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव ने स्पष्ट किया कि IWMP के तहत व्यक्तिगत कार्यों से अपेक्षित शेयर की कटौती उपरान्त ही कार्य करवाए जाने अपेक्षित थे परन्तु तत्कालीन सचिव द्वारा दो लाभार्थियों से कोई शेयर लिए बिना ही कार्य करवाए गए हैं व अन्य से कम शेयर की कटौती की गई इस सम्बन्ध में उससे जबाब लेकर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अत: पंचायत द्वारा लाभार्थियों से अपेक्षित कटौती न करना दर से कम व अधिक दर के अनुसार कटौती को तथ्यों व अभिलेखों के आधार पर न्यायोचित ठहराया जाये एवं इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये अन्यथा कटौती न की गई राशि एवं कम दर से कटौती करने के कारण हुए उक्त वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति करके शीघ्र ही WDF खाते में जमा करवा कर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.9 राशि ₹6.55 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)(2)** में वर्णित प्रावधानुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी। पंचायत सुनारा के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार कुल राशि ₹655574/- का व्यय किया गया। जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमिततायें पाई गई

1. मस्टरोल पर सतर्कता समिति के हस्ताक्षर न करवाने बारे।
2. प्रधान एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान करने बारे।
3. मस्टरोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।
4. मस्टरोल में अन्य विवरण जैसे: प्रस्ताव संख्या, दिनाँक, कार्य का नाम, कार्य शुरू करने एवं समाप्ति की तिथि इत्यादि का विवरण अपूर्ण पाया गया।

क्र०स०/ अनुदान	निर्माण कार्य	मस्ट्रोल संख्या	वॉउचर/ दिनाँक	राशि (₹)
1.15th FC 2021-22	कार्य: पनिहार निर्माण एवं टाइल कार्य बदरोथा	26448/ 26452	16 & 17/ 12-08-2022	134654
2. IWMP 2022-23	कार्य : नाला बंद वार्ड संख्या -3	26496	56/ 18-10-2021	78900
3. IWMP 2022-23	कार्य: सूखा नाला बंद लुहारका तथा वार्ड 04 व 09 में	26566, 26571 26572	01 to 03/ 18-05-2022	183000
4.IWMP 2022-23	कार्य : नाला ट्रीटमेंट अलोटी	26492	08/ 18-05-2022	103560
5.IWMP 2022-23	कार्य : नाला ट्रीटमेंट छुमेठी	26485	19/ 18-05-2022	155460
			कुल योग	**₹655574**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनाँक 23-03-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, के ध्यानार्थ वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्रवाई से अवगत करवा दिया जायेगा। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.10 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही राशि ₹3.56 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)(2)** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान हेतु ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव दोनों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना जरुरी है।

ग्राम पंचायत सुनारा के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत प्रधान द्वारा एकल हस्ताक्षर से ही (संलग्न **परिशिष्ट "5")** राशि ₹356119/- भुगतान किये गए थे जोकि न केवल उक्त

नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु यह संदिग्ध भी प्रतीत होता है जिसके अंतर्गत राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है एवं न ही किये गए भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनाँक 23-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि पंचायत द्वारा सभी सभी बिलों को केवल प्रधान के एकल हस्ताक्षर द्वारा ही पारित किये गए हैं भविष्य में नियमानुसार संयुक्त हस्ताक्षर उपरान्त ही बिलों का भुगतान किया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। यह एक गंभीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के समक्ष आगामी आवश्यक कार्रवाई लाई जाती है। अत: नियमों के विरुद्ध किये गए भुगतानों को न्योयचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.11 राशि ₹3.16 लाख के क्रय सामान/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर इन्द्राज न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार** सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,उसका यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा।

ग्राम पंचायत सुनारा के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा (संलग्न **परिशिष्ट "5")** राशि ₹316109/- का सामान क्रय किया गया। परन्तु उसकी स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई है। जोकि न केवल उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है अपितु स्टॉक प्रविष्टि के अभाव में उक्त क्रय किये गए सामान की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी एवं इसके दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनाँक 23-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। चूँकि यह न केवल नियमविरुद्ध है अपितु समय-समय पर क्रय स्टोर/स्टॉक का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न किया जाने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाई जाती है। अत: नियमाविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सुनारा के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया गया था। रोकड़ बहियों में अत्यधिक कटिंग,फ्लुडिंग (उदाहरण IWMP, सामान्य रोकड़बही पृष्ठ 46,04 व 75,78,85) इत्यादि की गई थी एवं सामान्य रोकड़बही के पृष्ट संख्या 58,63 व 77 खाली छोड़े गए थे जोकि अनुचित है इसमें किसी अनाधिकृत प्रविष्टि/समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इसके अतिरिक्त रोकड़ बहियों के न तो प्रगतिशील योग किये गए हैं और न ही अथशेष व अंतशेष दर्शाए गए थे जिससे कि पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई वित्तीय स्थिति में अन्तशेष व अथशेषों का सत्यापन नहीं किया जा सका और न ही ऑनलाइन रोकड़ बहियों को अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया, जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़ बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई मासिक आय-व्यय तालिका, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-10 दिनाँक 26-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में रोकड़ बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़ बहियों को पंचायत अभिलेख में रख लिया जायेगा। अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 पंचायत के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

ग्राम पंचायत सुनारा के नमूना अंकेक्षण में पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय एवं व्यय विवरण,

बैलेंस शीट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि पंचायत के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनाँक 26-03-2024 द्वारा पंचायत सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वितीय वर्ष 2021-22 से 2022-23 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व:-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों जैसे 3rd/5th स्टेट का एक बैंक खाते एवं एक ही रोकड़ बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनाँक 26-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.4 PRIYA SOFTWARE में संधारित लेखों तथा MANNUAL संधारित लेखों में राशि ₹2.71 लाख के अन्तर बारे :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-PANCHAYT मिशन प्रोजेक्ट (MPP) प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ हि०प्र० पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में

वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज़ रहित प्रणाली के अंतर्गत E-PANCHAYT में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि; पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल तथा प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है; तथा जो लेखे PRIYA सॉफ्टवेर में बनाये गए थे वे मैन्युअल रोकड़बही लेखों व बैंक खातों से मेल नहीं खाते। दिनाँक 31-03-2023 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मेनुअल लेखों में निम्नविवरणानुसार राशि ₹271631.05 का भारी अन्तर पाया गया।

31-03-2023 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मेनुअल संधारित लेखों (रोकड़बही) में अन्तशेष

31-03-2023 को PRIYA SOFT. में संधारित रोकड़बही का अन्तशेष	**₹36,40,775.02**
31-03-2023 को पंचायत द्वारा मेनुअल संधारित रोकड़बही का अन्तशेष	**₹33,69,143.97**
अन्तर	**₹2,71,631.05**

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर ऐसा प्रतीत होता है कि: पंचायत सचिव द्वारा PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़े सही ढंग से संधारित नहीं किये जा रहे हैं, जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु इसमें अनधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सम्बन्ध में सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनाँक 26-03-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, ऑनलाइन एवं मैन्युअल रोकड़बही के अंतर का मिलान करके शीघ्र ही अनुपालना से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़ों का संधारण किया जाना पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है। अत: दोनों अन्तर की छानबीन व पुनर्मिलान करके अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाए।

10.5 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **<u>नियम 29 से 31</u>** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **<u>नियम 34</u>** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं

5.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
9.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं
10.	ग्राम पंचायत का स्टॉक/समाग्री रजिस्टर	01 व 06	34	अपूर्ण

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनाँक 26-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में विहित रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **<u>नियम 73</u>** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत सुनारा की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया है। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनाँक 26-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकर्संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विन्योजन की सम्भावना को नकारा जा सके।

05.06.24

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

फा० / 50

2313 – 2317 05 JUN 2024

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल०ए०) एच (पंच) 15 (7) 148/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि०प्र०।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा हि०प्र०।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत सुनारा, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

05 JUN 2024

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

फा० / 50

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

Financial Position of GP Sunara for the Year 2021-2022 To 2022-2023

1. Own Source (3rd/5th State FC)

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	305280.96	406808.00	712088.96	419806.00	292282.96
2022-23	292282.96	307362.00	599644.96	371028.00	228616.96

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	906835.47	8871523.00	9778358.47	7783852.00	1994506.47
2022-23	1994506.47	9651405.46	11645911.93	8505384.92	3140527.01

3369143.97

नोट: प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सुनारा, विकास खंड मैहला में उपरोक्त निधियों के अंतर्गत चार रोकड़ बहियाँ का संधारण किया जा रहा है।

1+2 (228616.96+ 3140527.01 = 3369143.97)

	C/B as per Cash Books	3369143.97
	C/B as per Bank Passbook	3061230.71
Difference	(Less in bank passbook	307913.26

Checked

Sunara

Income Statement of GP Sunara Development Block Mehla Distt. Chamba for The Year 2021-22

MONTH	OWN SOURCE	3RD STATE	14TH FC	15TH FC	WATERSHED	WDF	VKVNY	ICDS & Others	MGNREGA	TOTAL
April				377890.00			89495.00		59796.00	**527181.00**
May		74700.00		219316.00			74990.00		84448.00	**453454.00**
June		68400.00	1055.00	366940.00	45310.00				91553.00	**573258.00**
July		68400.00		90000.00	1004000.00				1550471.00	**2712871.00**
August							70400.00		1150335.00	**1220735.00**
September	5460.00		318.00	346855.00	999.00				607782.00	**961414.00**
October		76200.00			965000.00				672742.00	**1713942.00**
November	250.00				6284.00		35000.00		106169.00	**147703.00**
December	2849.00		292.00				90000.00		67599.00	**160740.00**
Janurary		72300.00							327642.00	**399942.00**
February	29881.00						29121.00		108199.00	**167201.00**
March	8368.00				2412.00		170550.00		58560.00	**239890.00**
TOTAL	**46808.00**	**360000.00**	**1665.00**	**1401001.00**	**2024005.00**	**0.00**	**559556.00**	**0.00**	**4885296.00**	**9278331.00**

Expenditure Statement of GP Sunara Development Block Mehla Distt. Chamba for The Year 2021-22

MONTH	OWN SOURCE	3RD STATE	14TH FC	15TH FC	WATERSHED	WDF	VKVNY	ICDS & Others	MGNREGA	TOTAL
April		111516.00	139064.00				31350.00		59796.00	**341726.00**
May	3050.00		36080.00	27060.00			13530.00		84448.00	**164168.00**
June	14800.00		18000.00	154721.00			129976.00		91553.00	**409050.00**
July	11150.00	**10600.00**	**33553.00**		**40000.00**		**8700.00**		**1550471.00**	**1654474.00**
August									1150335.00	**1150335.00**
September		110000.00			224725.00		37770.00		607782.00	**980277.00**
October	6399.00				860850.00		73960.00		672742.00	**1613951.00**
November				89790.00	610850.00		43177.00		106169.00	**849986.00**
December	8290.00								67599.00	**75889.00**
Janurary	32182.00						61130.00		327642.00	**420954.00**
February									108199.00	**108199.00**
March	3419.00	108400.00		135850.00			128420.00		58560.00	**434649.00**
TOTAL	**79290.00**	**340516.00**	**226697.00**	**407421.00**	**1736425.00**	**0.00**	**528013.00**	**0.00**	**4885296.00**	**8203658.00**

Income Statement of GP Sunara Development Block Mehla Distt. Chamba for The Year 2022-23

MONTH	OWN SOURC	3RD STATE	14TH FC	15TH FC	WATERSHED	WDF	VKVNY	ICSD & Other	MGNREGA	TOTAL
April	3947.00	72300.00		24912.00	1565582.00		31500.00	40000.00	29232.00	**1767473.00**
May	2250.00			140000.00		40000.00	150000.00		1388637.00	**1720887.00**
June	1473.00			436316.00	4809.00	19521.00		100000.00	519784.00	**1081903.00**
July	75.00				117899.00	10000.00			5936.00	**133910.00**
August	4572.00			231763.00	53042.00	100992.00			917144.00	**1307513.00**
September	3840.00			24374.00	2836.00	23442.46	248600.00		620736.00	**923828.46**
October	**31440.00**			328974.00			175000.00		229808.00	**765222.00**
NOVEMBER		171600.00							43248.00	**214848.00**
DECEMBER	815.00			347644.00		1322.00			84800.00	**434581.00**
JANURARY				139000.00					191648.00	**330648.00**
February	7525.00			227041.00					171844.00	**406410.00**
MARCH	7525.00			597407.00		870.00			265742.00	**871544.00**
TOTAL	**63462.00**	**243900.00**	**0.00**	**2497431.00**	**1744168.00**	**196147.46**	**605100.00**	**140000.00**	**4468559.00**	**9958767.46**

Expenditure Statement of GP Sunara Development Block Mehla Distt. Chamba for The Year 2022-23

MONTH	OWN SOURC	3RD STATE	14TH FC	15TH FC	WATERSHED	WDF	VKVNY	ICDS & Other	MGNREGA	TOTAL
April	3000.00			145428.00			63801.00		29232.00	**241461.00**
May	**6592.00**	**75642.00**		**43435.00**	**1234874.00**		**38325.00**		**1388637.00**	**2787505.00**
June					178778.00		16740.00		519784.00	**715302.00**
July				63000.00	244134.00		34500.00		5936.00	**347570.00**
August	19150.00			457176.00	385170.00		31720.00	8000.00	917144.00	**1818360.00**
September	1966.00			20440.00	2836.46		123180.00		620736.00	**769158.46**
October				261940.00					229808.00	**491748.00**
November									43248.00	**43248.00**
December	14929.00			157188.00					84800.00	**256917.00**
Janurary	1144.00	151605.00		73608.00		103828.46			191648.00	**521833.46**
February				186770.00					171844.00	**358614.00**
March		97000.00		161954.00					265742.00	**524696.00**
TOTAL	**46781.00**	**324247.00**	**0.00**	**1570939.00**	**2045792.46**	**103828.46**	**308266.00**	**8000.00**	**4468559.00**	**8876412.92**

कार्यालय ग्राम पंचायत सुनारा, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक01-04-2021 to 31-03-2023 को बैंक खातो में Opening व Closing Balance का विवरण

क्र० स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 01-04-2021	राशि 31-03-2023
1.	15वां वित्तायोग	20110103921	HPSCB Dharwala	511378.00	2307160.00
2.	14वां वित्तायोग	99151300000958	HPGB Dharwala	230799.10	0.00
3.	SBM	99158100022082	HPGB Dharwala	0.00	0.00
4.	GENERAL/ VKVNY/ICDS	99151301503220	HPGB Dharwala	104025.50	313405.34
5.		11753195423	SBI MEHLA	19629.41	12918.41
6.	WDF	99150100011133	HPGB Dharwala	0.00	92319.00
7.	IWMP	99150100004287	HPGB Dharwala	41003.46	0.00
8.	SABHA NIDHI/3rdState	17910107063	HPSCB CHAMBA	305280.96	335158.96
			Cash in hand	0	269.00
			TOTAL	1212116.43	3061230.71

प्रमाणित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत सुनारा, में दिंनाक 31-03-2023 उपरोक्त क्रम संख्या 01 से 08 तक वर्णित बैंक खाते खोले गए हैं।

नोटः:SBM के खाता संख्या 99158100022082 दिंनाक 26-03-2015 के बाद कोई भी लेन देन नहीं हुआ है एवं खाता में शेष भी जीरो है परतु पंचायत द्वारा उक्त खाते को अभी तक बंद नहीं करवाया गया है।

परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित

Financial Position Grants in Aids of GP Sunara for the Year to 2021-2022 To 2022-23

Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	MGNREGA	2021-22	0.00	4885296.00	4885296.00	4885296.00	0.00
		2022-23	0.00	4468559.00	4468559.00	4468559.00	0.00
2	15TH FC	2021-22	511378.00	1401001.00	1912379.00	407421.00	1504958.00
		2022-23	1504958.00	2497431.00	4002389.00	1570939.00	2431450.00
3	14TH FC	2021-22	230799.10	1665.00	232464.10	226697.00	5767.10
		2022-23	5767.10	0.00	5767.10	0.00	5767.10
4	WDF	2021-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-23	0.00	196147.46	196147.46	103828.46	92319.00
5	IWMP	2021-22	41003.46	2024005.00	2065008.46	1736425.00	328583.46
		2022-23	328583.46	1744168.00	2072751.46	2045792.46	26959.00
6	VKVNY/GENERAL	2021-22	123654.91	559556.00	683210.91	528013.00	155197.91
		2022-23	155197.91	745100.00	900297.91	316266.00	584031.91

<u>परिशिष्ट– "3"</u>

ग्राम पंचायत सुनारा, विकास खण्ड मैहला ,जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना (पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित)

Sr.No. Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Supplier	Amount	Remarks
1.15TH FC	08 & 09/ 24-05-22	Interlock Tiles 60mm	7100.@15.90	M/S Kailash General Store, Chamba	112890	**Tender**
2.14TH FC	01 & 02/ 07-04-21	Bajri Sariya Wire Sand	14.16m3@2119 1474kg= 82076 10kg@80 16.99m3@1523	M/S Sanhahan Mata Hardware Store , PO Dharwala, Chamba	139064	**Tender**
3.14th FC	05/ 18-06-21	16mm Sariya	200kg@52.50	Do	10500	**Quotations**
4.14TH FC	01/ 25-07-21	Stationery	-	M/S Mehla Enterprises VPO Mehla, Chamba	2995	**Quotations**
5.ICDS	12/ 13-05-22	Sheets 12'	22@1818.18	M/S Aggarwal Hardware Store Kariyan, Chamba	40000	**Quotations**
6.ICDS	87/ 27-03-23	Paint, putty etc.	-	M/S Sanhahan Mata Hardware Store Chamba	22240	**Quotations**
				Total	**327689**	

परिशिष्ट "4" पैरा संख्या 5.29 8.3 में सं. संलग्न

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP SUNARA FROM WHICH PURCHASE WITHOUT "M" FORM & NEITHER ROYALITY DEDUCTED & PROBABALE LOSS OF GST

	01-04-2021 TO 31-03-2023										
SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT TO BE PAID	PAID GST
1	M/S Dhani Ram	15TH FC	09 to 11	Stone	67	150.08	66030	60	9004.80	62885.71	3144.29
	PO Sunara, Chamba		09-11-2021	Sand	4	6.40	9600	60	384.00	9142.86	457.14
2	M/S Vipan Kumar	15TH FC	07,	Stone	17	38.08	17000	60	2284.80	16190.48	809.52
	PO Sunara , Chamba		24-06-2021					60	0.00	0.00	0.00
3	M/S Dhani Ram	15TH FC	02,05 & 06	Sand	45.31	72.50	81558	60	4349.76	77674.29	3883.71
	PO Sunara, Chamba		20-04-2022	Aggre.				60	0.00	0.00	0.00
4	M/S Vipan Kumar	15TH FC	03,04 & 07	Aggre.	35.8	69.45	54620	60	4167.12	52019.05	2600.95
	PO Sunara , Chamba		20-04-2022	Stone				60	0.00	0.00	0.00
5	M/S Kishori Lal	15TH FC	12 to 15	Sand	10	16.00	28000	100	1600.00	26666.67	1333.33
	PO Sunara , Chamba		18-07-2022	Aggre.	10	19.40	35000	100	1940.00	33333.33	1666.67
5	M/S Dhani Ram	IWMP	01 & 04	Stone	20	44.80	20000	60	2688.00	19047.62	952.38
	PO Sunara, Chamba		22-07-2021					80	0.00	0.00	0.00
6	M/S Vipan Kumar	IWMP	02 & 03	Stone	20	44.80	20000	60	2688.00	19047.62	952.38
	PO Sunara , Chamba		22-07-2021					60	0.00	0.00	0.00
7	M/S Vipan Kumar	IWMP	35,39,41,43,46	Stone	101	226.24	110200	60	13574.40	104952.38	5247.62
	PO Sunara , Chamba		04-10-2021					60	0.00	0.00	0.00
8	M/S Dhani Ram	IWMP	20 -26 & 30,31	Stone	60	134.40	59250	60	8064.00	56428.57	2821.43
	PO Sunara, Chamba		04-10-2021	Sand	35	56.00	58000	60	3360.00	55238.10	2761.90
9	M/S Vipan Kumar	IWMP	59-62 & 67-72	Stone	364	815.36	289200	60	48921.60	275428.57	13771.43
	PO Sunara , Chamba		18-10-2021								
10	M/S Dhani Ram	IWMP	63 to 66	Stone	157	351.68	123750	60	21100.80	117857.14	5892.86
	PO Sunara, Chamba		18-10-2021	Sand				60	0.00	0.00	0.00
11	M/S Dhani Ram	IWMP	07,	Stone	40	89.60	39400	60	5376.00	37523.81	1876.19
	PO Sunara, Chamba		18-05-2022					60	0.00	0.00	0.00
12	M/S Dhani Ram	IWMP	14,17,23,26,29	Aggre.	14	27.16	19600	60	1629.60	18666.67	933.33
	PO Sunara, Chamba		18-05-2022					60	0.00	0.00	0.00
13	M/S Kishori Lal	MGREGA	Nil	Stone	148.5	332.64	67116	100	33264.00	63920.00	3196.00
	PO Sunara, Chamba		27-02-2023					60	0.00	0.00	0.00
14	M/S Vipan Kumar	MGREGA	Nil	Stone	309	692.16	309000	60	41529.60	294285.71	14714.29
	PO Sunara , Chamba		28-05-2022					60		0.00	0.00
15	M/S Dhani Ram	MGREGA	Nil	Stone	70	156.80	69300	60	9408.00	66000.00	3300.00
	PO Sunara, Chamba		28-05-2022					60	0.00	0.00	0.00
16	M/S Daleep Kumar	MGREGA	Nil	Stone	43.90	98.34	63216	60	5900.16	60205.71	3010.29
	PO Sunara , Chamba		23-05-2022	Aggre.	76.13	147.69	133227	60	8861.53	126882.86	6344.14
				Sand	38.06	60.90	79926	60	3653.76	76120.00	3806.00
17	M/S Kishan Kumar	MGREGA	Nil	Stone	63.60	142.46	76320	60	8547.84	72685.71	3634.29
	PO Sunara , Chamba		23-05-2022					60	0.00	0.00	0.00
18	M/S Vipan Kumar	MGREGA	Nil	Stone	77.4	173.38	92880	60	10402.56	88457.14	4422.86
	PO Sunara , Chamba		23-05-2022						0.00	0.00	0.00
19	M/S Daleep Kumar	MGREGA	Nil	Sand	33.53	53.65	70837	60	3218.88	67463.81	3373.19
	PO Sunara , Chamba		23-05-2022	Stone	15.1	33.82	21744	60	2029.44	20708.57	1035.43
				Aggre.	24.66	47.84	33155	60	2870.42	31576.19	1578.81
20	M/S Vipan Kumar		10 & 11	Aggre.	6.34	12.30	8800	60	737.976	8380.95238	419.04762
	PO Sunara , Chamba		13-05-2022	Stone	14.5	32.48	14500	60	1948.8	13809.5238	690.47619
						TOTAL	2071229		263505.85	1972599.05	98629.95
If Supplier is not mining lease holder than 25% penality on Amount after April ,2022 has been added so rate 80/ton + 25% Penalty = 100 Including Penlaty taken											

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal
   Rate of Royalty is taken Rs60/80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining
   Conversion Factor
2. **A. From Square Feet to Cubic Meter M3**
   35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M^3) Common to all items Sand, Stone & Aggregate
3. **B. From Cubic Meter (M^3) to Tonne**
   One Cubic Meter (M^3) Sand **1.60**
   One Cubic Meter (M^3) Aggregate Mi **1.94**
   One Cubic Meter (M^3) Aggregate **1.46**
   One Cubic Meter (M^3) Stone **2.24**
4. All items Sand, Stone & Aggre. **average weight** are taken for conversion while cubic meter to tonne.
5. As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or

Sunara

<u>परिशिष्ट – "5"</u>

ग्राम पंचायत सुनारा, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश संयुक्त हस्ताक्षर के बिना अनियमित भुगतान करने एवं स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न होने बारे (पैरा संख्या 9.10 व 9.11 में संदर्भित)

Sr.No./ Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Detail of Supplier	Amount	Remarks
1.15th FC	09/ 09-11-21	Stone	34m3@990	M/S Dhani Ram, PO Sunara, Chamba	33660	Joint. Sign & Stock Entry
2.15th FC	07/ 24-06-21	Stone	17m3@1000	M/S Vipin Kumar,PO Sunara Chamba	17000	Sign & Stock Entry
3.15TH FC	08 & 09/ 24-05-22	Interlock Tiles 60mm	7100.@15.90	M/S Kailash General Store, Chamba	112890	Joint. Sign & Stock Entry
2.14TH FC	01 & 02/ 07-04-21	Bajri Sariya Wire Sand	14.16m3@2119 1474kg= 82076 10kg@80 16.99m3@1523	M/S Sanhahan Mata Hardware Store , PO Dharwala, Chamba	139064	Joint. Sign & Stock Entry
5.14th FC	05/ 18-06-21	16mm Sariya	200kg@52.50	Do	10500	Joint. Sign & Stock Entry
6.14TH FC	01/ 25-07-21	Stationery	-	M/S Mehla Enterprises VPO Mehla, Chamba	2995	Joint. Sign & Stock Entry
7.ICDS	12/ 13-05-22	Sheets 12'	22@1818.18	M/S Aggarwal Hardware Store Kariyan, Chamba	40000	Joint. Sign.
				Total	356109	